2015/00095 — स्टेपड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

-: सरवरक :-

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

13/4
3/6
25/8
27/10
8/12
2/2
8/3
26/4
5/7
6/9
24/10
5/12
आपत्ति- 23/11
2/2
10/4
2/5

1 नाम अदालत ~~[illegible](SDO),गुलाबपुरा~~

2 किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 212 रा0का0

3 अनवान मुकदमा धापू पिता नन्दा माली, नि0-ढोकली बनाम श्रीमती रमी पुत्री भैरू माली नि0 जमुरा

4 नम्बर व सन् मुकदमा 16 /2015

5 तारीख दायरा 6/4/2015

6 तारीख फैसला 19/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला

9 किस्म मिसल या हिस्सा

10 किस्म रेकार्ड ग्रि लेकर

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

श्री मोहन कुमार

श्री राजेश कुमार मेहता

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम-28)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस०डी०ओ०), गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
केम्प कोर्ट–खेजडी

बालू पिता नन्दा माली वगैराह नि–खेजडी बनाम रूपी पुत्री भैरू माली पत्नि नगजी माली नि–जगपुरा तहसील आसीन्द

किस्म मुकदमा–प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–212 रा०टि०ए० प्रकरण संख्या–16 / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को पाबन्द फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने से प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में व उसके शातिपूर्वक उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं जिनका कि उनको कोई हक अधिकार नही हैं। इसलिये प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तदनुसार काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण का खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता हैं। **–:आदेश:–** प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर–1486, 1488, 1493, 1495, 1497 किता–05 रकबा 08 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाया गया। (नन्दकिशोर राजोरा) सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	

Scanned by CamScanner